

13-8-2014

पत्रावली देवा रही। वहील उभयपक्ष  
 लक्षण। वहील अप्रार्थी ने हीराने  
 बहान निवेदन किया कि धारा 5 सिपाई  
 अधिनियम का प्रारम्भ पत्र प्रारम्भिक  
 धारा 22 04 के साथ प्रस्तुत की  
 गया। पत्र कि हस्तक के प्रत्येक के प्रत्येक  
 परधान प्रारम्भिक पत्र प्रस्तुत किया है।  
 हमने बहान सुनी। धारा 5 प्रारम्भिक  
 पत्र प्रस्तुत रही होने के पूरा प्रारम्भिक  
 पत्र खरीज किया जाता है। पत्रावली  
 के ताल सुप्रा लेटर नम्बर के सम ही  
 शीर्षक सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)  
 सहायक जलपट्ट एवं  
 प्रमुख अधिकारी कपाराने  
 जिला-चिली अमर (राज.)